



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 2767/2026**

विनीता भारती एवं एक अन्य

... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह, लखनऊ एवं 4 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

-----  
प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – कृष्ण कुमार तिवारी

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या – 11**

**माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बरीश कुमार, राज्य- प्रतिवादीगण के पक्ष से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत विरोधी पक्षकार संख्या 4 और 5 को नोटिस उन्मोचित कर दिया गया है।
3. यह रिट याचिका प्रतिवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध करते हुए दायर की गई है ताकि याचिकाकर्ताओं का जीवन और स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके, साथ ही विरोधी पक्षकार संख्या 4 और 5 को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने से रोकने की प्रार्थना भी की गई है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं और उन्होंने दिनांक 16.01.2026 को लखनऊ के एक मंदिर में अपनी स्वेच्छा से एक-दूसरे से विवाह किया है। याचिकाकर्ताओं के वयस्क होने के समर्थन में, उन्होंने अपनी हाईस्कूल की अंकतालिकाएं संलग्न की हैं। यह तर्क दिया गया है कि विरोधी पक्षकार संख्या 4 और 5 इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं और इस कारण वे याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया है कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

5. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य- 2006*

*(5) एससीसी 475* के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-

17 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"17. .... यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिक से अधिक यह कर सकते हैं कि वे पुत्र या पुत्री से सामाजिक संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते अथवा हिंसक घटनाओं को कारित नहीं कर सकते अथवा उकसा नहीं सकते और न ही ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए, हम यह निर्देश देते हैं कि सम्पूर्ण देश में प्रशासनिक /पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई वयस्क लड़का या लड़की, किसी वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, तो उस युगल को किसी के द्वारा न तो उत्पीड़ित किया जाए और न ही उन्हें धमकी या हिंसा का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है या उत्पीड़न करता है या हिंसा करता है, चाहे वह स्वयं हो या उसके उकसावे पर हो, पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही संस्थित कर उन्हें दंडित किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाए।"

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा संलग्न विवाह प्रमाण पत्र को वैध विवाह प्रमाण पत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह एक ग्राम उद्योग सेवा समिति द्वारा जारी किया गया है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि भले ही याचिकाकर्ताओं का विवाह प्रमाण पत्र विवादित है, लेकिन याचिकाकर्ता वर्तमान में साथ रह रहे हैं।

8. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *नंदकुमार एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य: (2018)*

*16 एससीसी 602* के मामले में घोषित निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

टिप्पणी की है:-

"10. हमारे उद्देश्यों के लिए, यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता 1 और थुशारा दोनों वयस्क हैं। भले ही वे विवाह बंधन में बंधने में सक्षम नहीं थे (यह स्थिति स्वयं ही विवादित है), उन्हें विवाह के बिना भी साथ रहने का अधिकार है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि 'लिव-इन' संबंधों को अब स्वयं विधायिका द्वारा ही मान्यता प्रदान की गई है, जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।"

9. उपरोक्त के दृष्टिगत विपक्षीयता को किसी भी रूप में याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने के निर्देश के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस मुद्दे पर कोई प्राथमिकी पहले से दर्ज है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा।

11. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की आयु और न ही लिव-इन संबंध/विवाह की सत्यता/वैधता पर कोई निर्णय लिया है और न ही विचार किया है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

30 मार्च, 2026

प्रतीक